

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद।

2014

संख्या 8962/आ0ले0-जि0अ0-2014

दिनांक 02 अक्टूबर

आदेश

कलेक्ट्रेट, विकास भवन व अन्य जनपद स्तरीय कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू व पान मशाला आदि का प्रयोग निषिद्ध किया जाता है। अतः किसी परिसर में इसका प्रयोग, दुर्गन्ध व रेपर पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित अधिनियमों एवं आदेशों की अवहेलना करने में कार्यवाही की जायेगी। अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारी इसके लिए उत्तरदाई होंगे।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
जिला सूचना अधिकारी फर्रुखाबाद को इस निर्देश के साथ कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से निशुल्क प्रचार-प्रसार करायें।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।